न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची

एस. ए. आर. अपील 14आर–15/04–05

स्वराज उराँव वगै॰ अपीलकर्त्ता

बनाम

मो. जमाल वगै॰ प्रतिवादी

आदेश

28.12.07

यह अपील एस.ए.आर. वाद सं. 75/98–99 में दिनांक 04.08.99 को श्री ए. के. द्विवेदी, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन की वापसी हेतु धारा–71'ए' छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दायर आवेदन खारिज कर दिया है।

ग्राम	खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा
पुरानी राँची	189	573 649 603 596	4.13 एकड़

अपील आवेदन में बताया गया है कि निम्न न्यायालय में किसी जाली व्यक्ति द्वारा अपीलकर्त्ता के नाम से वाद दायर किया गया था जिसमें शपथपत्र भी गलत था तथा उसकी पहचान करने वाले अधिवक्ता का वर्त्तमान में निधन हो चुका है। वास्तव में विवादित जमीन खाता सं. 189 प्लॉट सं. 573, 649, 603 एवं 596 रकबा क्रमशः 2.89 एकड़, 89 डिसमील, 45 डिसमील एवं 40 डिसमील कुल 4.13 एकड़ जमीन अपीलकर्त्ता के दखल में है और उन्होने निम्न न्यायालय में जमीन वापसी हेतु कोई वाद दायर नहीं किया था। यह जमीन खतियान में खेवट नं. 10 के अन्तर्गत बकास्त सीता राम साहु के नाम दर्ज है। उक्त जमीन नीलामी द्वारा अपीलकर्त्ता के

दादा राय साहब बंदी उरॉव ने खरीदा था तथा एक्सक्युसन वाद सं. 351/1935 एवं 352/1935 द्वारा उन्हें दखल देहानी भी प्राप्त हुआ था। निम्न न्यायालय में किसी जाली व्यक्ति द्वारा प्रतिवादी की मिलीभगत से जमीन वापसी का वाद दायर किया।

प्रतिवादी ने अपने जवाब में कहा है कि यह अपील गलत है एवं संधारणीय नहीं है। इन्ही तथ्यों को उद्धृत करते हुए अपीलकर्त्ता ने एक अन्य अपील वाद सं. 46/03 उपायुक्त, राँची के न्यायालय में दायर किया है एवं एक ही समय में दो अपील दायर नहीं किया जा सकता। अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय में जमीन वापसी हेतु एस.ए.आर. वाद सं. 75/98–99 दायर किया था जो 14.08.99 को खारिज हो गया जिसके विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं किया गया। अपील आवेदन में वर्णित तथ्य गलत है। विवादित जमीन अपीलकर्त्ता के दादा द्वारा नीलामी से प्राप्त करने की बात भी झुठा है। विवादित जमीन पर वर्त्तमान में प्रतिवादी का दाचा है तथा इसी जमीन को लेकर दोनों के बीच टाईटल सूट सं. 290/30 सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही प्रस्तुत किया। इसका कहना है कि प्रतिवादी द्वारा भूतपूर्व जमींदार का जाली हुक्मनामा प्रस्तुत किया गया तथा जैतुन निशा के नाम गलत ढंग से नामांतरण हुआ। इनका यह भी कहना है कि अपीलकर्त्ता विवादित जमीन पर दखलकार हैं अतः दखल देहानी की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूतपूर्व जमींदार ने 1937 में सादा हुक्मनामा द्वारा कई व्यक्तियों के साथ जमीन बन्दोबस्त किया जिसका जिक्र रिटर्न में भी है। बंदोबस्तीधारियों के नाम नामान्तरण भी हुआ।

वर्ष 89–90 में 32 व्यक्तियों को जमीन हस्तांतरित किया गया एवं खरीदने वाले लोगों ने पक्का मकान भी बनाया जो नुरनगर के नाम से जाना जाता है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्लॉट सं. 596, 603 एवं 649 पर मकान बने हुए हैं तथा शेष जमीन बन्दोबस्तीधारियों के उत्तराधिकारियों के दखल में है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस भी दाखिल किया गया है जिसमें बहस में कही गयी बातों को ही उद्दृत किया गया है।

उभय पक्ष के बहस और सभी सम्बन्धित कागजातों के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खाता सं. 189 बकास्त मालिक है जो आदिवासी खाते की नहीं है। ऐसी स्थिति में इस भूमि पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71'ए' के अन्तर्गत सुनवाई नहीं हो सकती है। इस दृष्टिकोण से निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

अपीलकर्त्ता 1935 में विवादित भूमि की नीलामी लेने और दखल देहानी का दावा करते है लेकिन अंतिम रूप से प्रकाशित पुनरीक्षण खतियान (Revisional Survey) को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इसके इन्द्राज को अब तक न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वर्त्तमान अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित वो संशोधित

दिनांक :– 28.12.2007

ह0/–

अपर समाहर्त्ता,
राँची।